आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No._____

दिनांक/Date. १९/०६/२०२०

विश्वभारती से पल्लवित-पुष्पित होने वाले मेरे समस्त सहयोगी, छात्र एवं हितधारक गण

एनआइआरएफ 2020 के वरीयता क्रम में विश्वभारती का #37वें स्थान से #50वें स्थान पर खिसक जाना सन् 2016 से संस्थान की स्थिति में क्रमिक ह्रास का प्रदर्शन है, विश्वभारती परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं इसके संभावित कारणों को आपलोगों से साझा करना चाहता हूँ।

एक तरफ जहाँ शिक्षक, छात्र, गैर-शिक्षण कार्मिक एवं अन्य हितधारक अपने-अपने स्तर पर विश्वविद्यालय के अकादमीय प्रदर्शन और इसके समृद्ध विरासत के लिए जिम्मेदार हैं वहीं विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को दोष देना व्यर्थ है। हर छात्र, शिक्षक, स्थानीय व्यापारी, टोटो चालक, पत्रकार एवं अन्य हितधारकों के लिए विश्वभारती सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ऐसी स्थिति में इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के क्रमिक अवसान में सहायक होने की बजाय इसकी देखभाल में सहयोग करना चाहिए।

निर्धारित नियमों एवं विनियमों से विचलित व इनके अनुपालन के अभाव में विवादास्पद और नियमों के प्रतिकूल छवि बने विश्वभारती को, सन् 2018 में कार्यग्रहण के बाद से ही मैं स्वच्छ बनाने में जुटा हुआ हूँ। इस अत्यावश्यक कार्य के कारण प्रशासन के पास अन्य संगत मामलों में ध्यान देने का समय ही नहीं रहा। मैं अंदर के मतभेदों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय के निम्नतर वरीयता की सच्चाई जगजाहिर होनी चाहिए।

विश्वभारती अग्रणी रहने की अपनी विरासत जिन कारणों से खोती जा रही है वे "बाहरी हस्तक्षेप एवं पूर्व छात्रों के निम्नतर योगदान तथा परिसर में होने वाली गतिविधियों की समुचित जानकारी न देना", ऐसे कारण हैं जिनकी तह तक जाना कठिन नहीं है।

1) नवंबर 2018 में मेरे कार्यग्रहण के एक सप्ताह बाद, मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक पत्र मिला जिसमें मुझे यह आदेश दिया गया था कि विश्व भारती के समस्त कार्मिकों का वेतन न रुके इसके लिए कुछ गैर शिक्षण सहकर्मियों को अधिक वेतन भुगतान करना बंद कर दिया जाए। मेरा निर्णय कार्मिकों के बहुमत के पक्ष में था तथा उनके विरुद्ध जो इस अवैध वर्धित वेतन का आनंद ले रहे थे, इससे उनका नाराज होना स्वाभाविक था ।
2) चूंकि पूर्व कुलपति द्वारा अनुमोदित रकम नियमों एवं विनियमों के विरुद्ध था, अतः कुछ नव नियुक्तों को यह रकम वापस करने के लिए कहा गया; इससे लाभार्थी अवश्य ही नाराज हुए तथा इससे वर्तमान कुलपति उनकी नाराजगी का निशाना बन गए ।
3) मेरे कार्यग्रहण के पश्चात,मेरा ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेश(लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ) की ओर आकर्षित किया गया जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिन लोगों ने लद्दाख के पंग्योम झील की कथित यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत लिया था, उन्हें इस यात्रा के लिए प्राप्त रकम वापस करने के लिए कहा गया था । विश्वभारती के लेखा कार्यालय ने सहकर्मियों से उक्त रकम की वसूली प्रारंभ कर दी तथा जून 2020 तक इस रकम की वसूली लगभग पूरी हो चुकी है ।
4) कई सहकर्मियों को अकादमीय एवं अन्य गतिविधियों के लिए दिए गए अग्रिम राशि जो एक बड़ी रकम है,के भुगतान के लिए कहा गया। इसने उन्हें निराश किया क्योंकि वे लंबे समय तक विश्वविद्यालय की शिथिलता के लाभार्थी रहे थे।
5) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व कुलपति के समय में हुए 24 अकादमिक एवं गैर अकादमिक पदों की भर्ती में कथित अनियमितता की जांच के लिए मुझसे कहा गया । जांच शुरू हो चुकी है तथा यदि इसका परिणाम उस समय की अनियमितता के कथित लाभार्थियों के विरुद्ध होता है तो इससे उन्हें जलन होना स्वाभाविक है ।
6) मई,2019 में लगभग 200 गैर शैक्षणिक कार्मिकों के दल ने मेरे निवास 'पुरबिता' पर हल्ला बोला और मुझे भद्दी-भद्दी गाली देने लगे । उस दिन एक वरिष्ठ महिला सहकर्मी जो उस समय एक बैठक के सिलसिले में उपस्थित थीं,उन्हें भी उस भद्दे शब्दों का सामना करना पड़ा, यह उन लोगों से अनपेक्षित है जो खुद को रवींद्रनाथ परंपरा से परिपोषित कहते हैं ।
7) अक्टूबर,2019 में तीन पूर्व सहकर्मी जिन्हें प्रशासन से उनकी इच्छानुसार अनुग्रह नहीं प्राप्त हुआ, उनके साथ खुली बैठक में कुलपति को उनके दिवंगत पिता के संबोधन के साथ गलियाँ दी गईं । यह आश्चर्यजनक बात थी कि इस गाली-गलौज का विरोध न के बराबर हुआ ।

8) पिछले वर्ष दुर्गा पूजा से ठीक पहले कर्मी सभा 22 दिनों के हड़ताल पर बैठ गई । उनकी दो मांगें थीं : सातवें वेतन आयोग के देय रकम का भुगतान तथा ग्रंथन विभाग के अतिथि गृह को वापस करना, हालांकि यह अतिथि गृह विश्वविद्यालय का है पर इससे होने वाली आय कार्मिक सभा के खाते में जाती थी । मुझे हैरानी हुई कि विश्वविद्यालय का अतिथि गृह कार्मिक सभा जो कि एक स्वैच्छिक संस्थान है (कार्यकारी परिषद के वर्णन के अनुसार)उनके द्वारा कैसे संचालित हो सकती है । अब कलकता का अतिथि गृह विश्वविद्यालय की देख-रेख में चल रहा है । यह भी ध्यान दिया जाए कि हालांकि गैर शैक्षणिक कार्मिक कार्य स्थगन हड़ताल पर थे पर वे उपस्थिति पंजिका में दोनों समय हस्ताक्षर करते रहे ताकि वेतन का उनका दावा बरकरार रहे ।

9) पिछले वर्ष छात्रों द्वारा 25 घंटे के लिए हमलोगों का घेराव किया गया था जिन्होंने हमारे सहकर्मी को इंसुलिन तक नहीं लेने दिया, जिसके कारण बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा । इतना सब कुछ होते हुए भी इस समस्या का निवारण छात्रों के साथ बैठक एवं चर्चा के माध्यम से किया गया, इसमें हमारे कुछ सहकर्मियों ने अग्रणी भूमिका निभाई ।

10) इस वर्ष के प्रारंभ में,कर्मी सभा के कुछ गैर-शैक्षणिक सदस्यों ने गाली देने के लिए मेरे कार्यालय पर हल्ला बोला, वे इस बात से नाराज थे कि उनके एक सहकर्मी का स्थानांतरण कलकत्ता कार्यालय में कर दिया गया था जो कि सभा के हित के विरुद्ध था । अंततः उन्होंने मेरे कार्यालय के प्रवेश द्वार को बाहर से बंद कर दिया जिसके कारण काफी अव्यवस्था हुई। शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्मिकों के एक समूह ने जब उनका विरोध किया तब जाकर हमें मुक्ति मिली। इस संबंध में जांच चल रही है तथा उसके परिणाम की प्रतीक्षा है ।

11) संकाय के एक सदस्य का कार्यग्रहण पर पाँच वेतनवृद्धि का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था जो नियम के विरुद्ध है तथा देय नहीं है । भारत सरकार द्वारा भेजे गए नियमित लेखा परीक्षा दल ने संकाय सदस्य के वेतन को नियमानुसार पुनः नियतन करने का आदेश दिया क्योंकि चयन समिति की बैठक के बाद वेतनवृद्धि का निर्णय नियम के विरुद्ध है । कर्मी परिषद ने विश्वविद्यालय प्राधिकरण को लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया है।अब यह भी सहकर्मियों एवं उनके जैसे/उनके हितचिंतकों के लिए झगड़े का विषय बनेगा ।

12) संभवतया विश्वभारती महान विरासतों वाली गिने-चुने शिक्षण संस्थानों में से है तथापि यह समस्त गलत चीजों के लिए जानी जाती है :

(क) सन 1913 में जो नोबेल पुरस्कार गुरुदेव रवींद्र नाथ ने प्राप्त किया था उसका प्रतीक चिन्ह चोरी हो गया; (ख)एक पूर्व कुलपति के साथ ही एक कुलसचिव को निलंबित कर दिया गया था; (ग) अवैध कार्यों के कारण एक पूर्व कुलपति को शर्मनाक रूप से निकलना पड़ा। हाल ही में एक पूर्व कुलपति(कार्यकारी) के साथ पूर्व कुलसचिव(कार्यकारी) तथा वित्त

अधिकारी(कार्यकारी) को कथित कुप्रथाओं में लिप्त होने के कारण निलंबित कर दिया गया था ।

13) दो पूर्व वित्त अधिकारी,वित्त अधिकारी के लिए अनुप्रयोज्य गाड़ी का उपभोग करते हुए भी परिवहन भत्ता लेते रहे जो सरकारी वित्त लियमों के विरुद्ध है । उनसे वसूली का एक आदेश जारी किया गया था । इनमें से एक से यह रकम वसूली कठिन था क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी जबकि एक अधिकारी ने परिवहन भत्ते को किश्तों में चुकाना प्रारंभ कर दिया ।

इसके साथ ही मैं प्रथम सूची को यही समाप्त करता हूँ जो मेरे विचार से हाल ही में लोगों के मन में विश्वभारती के प्रति नकारात्मकता के लिए जिम्मेदार है । मैं अपने सहकर्मियों को दो बातें याद दिलाना चाहता हूँ : (क) पात्रता की अवैध भावनाओं से संबंधित विरोध और हस्तक्षेप से पैदा हुए मतांतर के बीच एक अंतर है, तथा (ख) उप कुलपति के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रवीन्द्रनाथ की लोकनीति तथा 1951 के विश्वभारती अधिनियम एवं विधियों से विचलित दशकों पुरानी कुव्यवस्था को मिटा सके। इस संदेश के माध्यम से मैं इस संस्थान के शुभाकांक्षियों के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ ताकि एक साथ मिलकर हम कमियों को पहचान कर इसे दूर करने का प्रयास कर सकें ।

अनुरोध है कि सुरक्षित रहें, जुड़े रहें ।

विद्युत चक्रवर्ती

विद्युत चक्रवर्ती १९/०६/२०२०

कुलपति

विश्व भारती

•विश्वभारती•
शान्तिनिकेतन

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India